न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राज0)

पीठासीन अधिकारीः– श्री रोहिताश्व सिंह तोमर (आई.ए.एस)

प्रकरण संख्या 40/2025

बउनवान

राज्य सरकार जर्ये रविन्द्र कुमार मीणा, प्रवर्तन निरीक्षक, अंता (प्रार्थी)

बनाम

श्री बुद्धि प्रकाश सुमन पुत्र रामदयाल सुमन निवासी अंता (अप्रार्थी)

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 6(ए) आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955

उपस्थिति :– 1. पेरोकार रसद (प्रार्थी)

2. अप्रार्थी स्वंय

न्यायालय जिला कलक्टर बारां (राज०)

निर्णय दिनांक 31.12.2025

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 05.12.2025 को घरेलू गैस सिलेण्डरों के बढते व्यावसायिक उपयोग की शिकायत के कम में प्रार्थी, श्री सांवरिया सेठ रेस्टोरेंट कोटा रोड़ अंता पर पहुंचा। मौके पर श्री बुद्धि प्रकाश सुमन पुत्र रामदयाल निवासी अंता उपस्थित मिले जिनके सामने जांच की गई। जांच में मौके पर घरेलु गैस सिलेण्डर का व्यावसायिक दुरूपयोग किया जाना पाया गया। इसलिये द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण का विनियमन) आदेश 2000 के भाग 3 के खण्ड 3 का उल्लंघन पाये जाने पर 3 घरेलू गैस सिलेण्डर मौके पर जब्त सरकार कर रूबरू मैसर्स अंता गैस सर्विस सेंटर अंता की सुपुर्दगी में दिया जाकर सुपुर्दगीनामा लिखा गया।

इस प्रकार अप्रार्थी का यह कृत्य राजस्थान पेट्रोलियम उत्पाद (अनुज्ञापन व नियत्रंण) आदेश 1990 के खण्ड 3(1) तथा द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय एवं वितरण का विनियमन) आदेश 2000 के खण्ड 3(2) का स्पष्ट उल्लंघन है। अतः उपरोक्तानुसार जब्तशुदा गैस सिलेण्डर को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत राजसात की कार्यवाही कर निस्तारण फरमावें।

इस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को धारा 6(बी) आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थी स्वंय ने उपस्थित होकर उक्त कृत्य स्वीकार करते हुए जवाब इस आशय का पेश किया कि अप्रार्थी ने अनजाने में अचानक व्यवसासिक एल.पी.जी. सिलेंडर के समाप्त हो जाने के कारण घरेलू एल.पी.जी. सिलेंडर का उपयोग अपने श्री सॉंवरिया सेठ रेस्टोरेन्ट पर व्यावसायिक उद्देश्य के लिए किया था। उस दिन अप्रार्थी को तत्काल अपनी व्यवसायिक गतिविधियों को जारी रखने के लिए ईंधन की आवश्कता थी। इसलिये तात्कालिक समाधान के रूप में अपने घरेलू सिलेंडर का उपयोग कर लिया। अप्रार्थी भविष्य में इस प्रकार की गलती दोबारा नहीं दोहरायेगा और एल. पी. जी. से सम्बधित सभी नियमों और दिशानिर्देशों का सख्ती से पालन करेगा। अतः अप्रार्थी की परिस्थितियों और अनजाने में हुई इस भूल को ध्यान में रखते हुए इस मामले में सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए अप्रार्थी को आवश्यक दंड/जुर्माने के साथ क्षमा प्रदान करें।

Signature Not Verified

Digitally signed by Rohitashva Singh Tomar
Date: 2026.01.30 17:48:08 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बारां (राज०)

प्रार्थी

हमने बहस उभयपक्ष पेरोकार रसद एवं उपस्थित अप्रार्थी स्वंय की सुनी।

दौराने बहस पेरोकार रसद ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अप्रार्थी ने घरेलू गैस सिलेण्डरों का व्यावसायिक उपयोग कर राजस्थान पेट्रोलियम उत्पाद (अनुज्ञापन व नियत्रंण) आदेश 1990 के खण्ड 3(1) तथा द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय एवं वितरण का विनियमन) आदेश 2000 के खण्ड 3(2) का उल्लंघन किया है। अतः जब्तशुदा 3 गैस सिलेण्डर को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत राजसात किये जाने के आदेश फरमावें।

दौराने बहस अप्रार्थी ने स्वंय घरेलू गैस सिलेण्डर का व्यावसायिक उपयोग किया जाना स्वीकार किया तथा भविष्य में कभी भी घरेलू गैस सिलेण्डर का दुरूपयोग नहीं करने का कथन करते हुए प्रार्थी के विरूद्ध की गई कार्यवाही निरस्त फरमाने हेतु निवेदन किया।

हमने सम्पूर्ण पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। अप्रार्थी ने स्वंय घरेलू गैस सिलेण्डर का व्यावसायिक उपयोग किया जाना स्वीकार किया है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य पाया जाता है।

परिणामस्वरूप प्रार्थनापत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर, जिला रसद अधिकारी, बारां को निर्देश दिये जाते है कि जप्तशुदा BPCL गैस सिलेण्डर नम्बर (1) 509486S, BPCL गैस सिलेण्डर नम्बर (2) 575247T, BPCL गैस सिलेण्डर नम्बर (3) 115659T, का उपयोग व्यावसायिक कार्य हेतु किया गया है, इसलिये अप्रार्थी/सुपुर्दगीदार से जप्तशुदा गैस सिलेण्डर की सिक्योरिटी राशि मय जुर्माना राशि प्रति गैस सिलेण्डर 2500/- रूपये यानि 3 गैस सिलेण्डर की कुल 7500/- रूपये लिये जाकर जप्तशुदा घरेलू गैस सिलेण्डर को वापस लौटाया जावे। यदि अप्रार्थी जप्तशुदा गैस सिलेण्डर को उक्तानुसार राशि जमा करवा कर वापस नही लेता है तो अप्रार्थी से व्यवसायिक गैस की दर से घरेलू गैस सिलेण्डर की अन्तर राशि नियमानुसार प्राप्त करें एवं प्राकृतिक गैस विभाग द्वारा अपने पत्र दिनांक 22.6.07 द्वारा राज्य सरकार के खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग, जयपुर के प्रदत्त निर्देशानुसार उक्त जप्तशुदा गैस सिलेण्डर को संचालक मैसर्स अंता गैस सर्विस अंता को कीमत पर दिया जाकर उक्तानुसार प्राप्त राशि नियमानुसार राजकोष में जमा करवायी जावें।

निर्णय आज दिनांक 31.12.2025 को लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलेक्टर बारां (राज०)

(रोहिताश्व सिंह तोमर)
जिला कलेक्टर बारां

जिला कलेक्टर बारां (राज०)

Signature Not Verified

Digitally signed by Rohitashva Singh Tomar
Date: 2026.01.30 17:48:08 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थी